क. <u>तत्काल योजना निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं है (कृपया चयन करें, यदि लागू हो।):</u>

<table>
<tr><th>नया जारी करने के मामलों में</th><th>पुनः जारी करने के मामलों में</th></tr>
<tr><td rowspan="2">भारत के नागरिक -पंजीकरण द्वारा/नैचुरलाइजेशन द्वारा (गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई नागरिकता)</td><td>खोए/चोरी हुए पासपोर्ट के मामले</td></tr>
<tr><td>कम वैधता वाले पासपोर्ट को फिर से जारी करना</td></tr>
<tr><td>भारतीय या विदेशी माता-पिता द्वारा गोद लिए गए बच्चे</td><td>पहचान से परे क्षतिग्रस्त पासपोर्ट</td></tr>
<tr><td>विवाह से बाहर पैदा हुआ बच्चा और जिसका केवल एक माता या पिता है</td><td>लिंग, रूप या हस्ताक्षर में परिवर्तन</td></tr>
<tr><td>सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे</td><td>जन्म तिथि या जन्म स्थान में परिवर्तन/सुधार</td></tr>
<tr><td>एकल माता-पिता वाले अवयस्क/नाबालिग (किसी एक माता/पिता की मृत्यु हो गई हो)</td><td>पिता/माता/पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन</td></tr>
<tr><td colspan="2">नाम में परिवर्तन</td></tr>
<tr><td colspan="2">जिनका वर्तमान पता क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है</td></tr>
<tr><td colspan="2">अनुलग्नक सी के साथ अवयस्क/नाबालिग का आवेदन (उदाहरण: अवयस्क जिनके माता-पिता तलाकशुदा या अलग हो गए हैं, आदि)</td></tr>
<tr><td colspan="2">सरकारी खर्च पर विदेश से प्रत्यावर्तित आवेदक</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदकों को भारत भेज दिया गया या आपातकालीन प्रमाणपत्र पर यात्रा की गई</td></tr>
<tr><td colspan="2">नाबालिगों (18 वर्ष से कम)सहित नागा मूल के व्यक्ति</td></tr>
<tr><td colspan="2">नागालैंड के बाहर रहने वाले नागा मूल के व्यक्ति</td></tr>
<tr><td colspan="2">नाबालिगों (18 वर्ष से कम)सहित जम्मू और कश्मीर मूल के व्यक्ति</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदक जो धारा 6 (2) (ई) या 6 (2) (एफ) से किसी प्रकार संबंध रखते हैं।(आपराधिक अदालती मामलों से संबंधित)</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट वाले आवेदक, निगरानी सूची में रखे गए, अभ्यस्त पासपोर्ट खोने वाले या जिन्होंने जाली या नकली पासपोर्ट का प्रयोग कर पहले यात्रा की थी</td></tr>
</table>

*उपरोक्त सूची सांकेतिक है और सूची समय-समय पर बदल सकती है।